अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

रोजगार और स्वरोजगार के लिए वरदान

इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021

शहरी क्षेत्र के जरुरतमंदों को
₹ 50 हजार तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा

अनौपचारिक सेवा क्षेत्र के कामगार एवं पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवा जिनकी आयु 18-40 वर्ष है तथा शहरी पथ-विक्रेता को रोजगार/स्वरोजगार अवसर उपलब्ध कराने व रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021

योजना के मुख्य बिन्दु

ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याजमुक्त होगा।
ब्याज हेतु शत-प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवायेगी।

लाभार्थी को ऋण का पुनर्भुगतान चौथे से पन्द्रहवें महीने तक 12 समान मासिक किश्तों में करना है।

ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी तरह का प्रक्रिया शुल्क नहीं होगा।

- शहरी पथ विक्रेता
- अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार
- पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवा

5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध

योजना में आवेदन **sso.rajasthan.gov.in** वेबसाइट या ई-मित्र पर किया जाएगा।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

- पासपोर्ट आकार की फोटो
- जनाधार कार्ड
- आधार कार्ड
- राजस्थान में वर्तमान निवास से सम्बन्धित दस्तावेज
- राजस्थान में स्थायी निवास से सम्बन्धित दस्तावेज
- बैंक खाते की पासबुक

आवेदन करने हेतु रोजगार सम्बन्धित दस्तावेज

- विक्रेता हेतु प्रमाण-पत्र, वेंडिंग आईडी कार्ड, नगर निकाय द्वारा जारी सिफारिश पत्र।
- जिला रोजगार केन्द्र पर दर्ज की गयी पंजीकरण संख्या।
- आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित शपथ पत्र भी लगाना होगा जिसमें:
  1. वर्तमान में आवेदक पर चल रहे बकाया ऋण संबंधित सूचना (यदि कोई हो तो)।
  2. व्यापार / व्यवसाय का प्रकार।
  3. मासिक आय की स्वघोषणा (स्वयं की आय 15,000 व पारिवारिक आय 50,000 से कम हो)

ऋणदाता संस्थान :

Schedule Commercial Bank | Regional Rural Bank | Small Finance Bank | Cooperative Bank | Non Banking Finance Companies

कोरोना को फिर से लौट कर न आने दें
1. घर से बाहर निकलें तो हमेशा मास्क पहनें
2. जगह में दो गज की दूरी बनाए रखें
3. अपने हाथ साबुन से धोएं या सैनेटाइज करें
4. वैक्सीन जरूर लगवायें

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

Indira_Gandhi_Credit_Card__52x33___Atul__Option_01

रोजगार और स्व रोजगार के लिए वरदान
इन्दिरा गांधी शहरी
क्रेडिट कार्ड योजना-2021
₹ 50 हजार तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा
अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान
राज्य के 5 लाख लोगों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर इस योजना का लाभ।
यह योजना राजस्थान के केवल शहरी क्षेत्रों में लागू।
योजना में आवेदन sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट या ई-मित्र पर किया जायेगा।
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

- कोविड–19 से प्रभावित शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार युवाओ को रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ।
- योजना में 50000 रू तक का ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याजमुक्त होगा। ब्याज हेतु शत् प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवायेगी।
- योजना में लाभार्थी को ऋण का पुर्नभुगतान चौथे से पन्द्रहवें महिने तक बारह समान मासिक किश्तों में करना होगा।
- योजना में 5 लाख लाभार्थियों को **"पहले आओ–पहले पाओ"** के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।
- योजना में आवेदन **sso.rajasthan.gov.in** वेबसाईट या ई–मित्र के माध्यम से किया जायेगा।

परिचय एवं उद्देश्य

1

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2021–22 की पालना में इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ
- कोविड–19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना
- वित्त विभाग द्वारा योजना के दिशा–निर्देश जारी
- शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं तथा बेरोजगारों को योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को रू. 50000 तक का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करवाना
- योजना के अर्न्तगत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/निजी बैंक/सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण

योजना के मुख्य बिन्दु

- योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से
- जिला कलक्टर योजना का जिला स्तर पर नोडल अधिकारी
- निकाय स्तर योजना के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन
- स्वयं या ई–मित्र द्वारा ऑनलाईन वेब पोर्टल/ऐप के माध्यम से आवेदन
- आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित शपथ–पत्र देना अनिवार्य
- ऋण राशि वितरित होने के पश्चात 3 माह का मोरेटोरियम
- ऋण राशि का पुर्नभुगतान चौथे माह से 15 वें माह तक 12 मासिक किश्तो में
- ऋण का पुनर्भुगतान नकद/ऑनलाईन/यू.पी.आई द्वारा किये जाने की सुविधा
- राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही में ब्याज अनुदान का वितरण
- मार्गदर्शन/शिकायत के उचित निवारण हेतु निकाय स्तर पर हैल्पडेस्क
- राज्य (SLBC) जिला (DLEC) तथा ब्लाक (BLEC) स्तर पर नियमित समीक्षा

योजना हेतु पात्रता

- राजस्थान का स्थायी निवासी, जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15000 से कम तथा पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम हो
- शहरी बेरोजगार युवा
  - जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत बेरोजगार (जिन्हे बेरोजगारी भत्ता ना मिल रहा हो)
- शहरी स्ट्रीट वेण्डर्स
  - सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स
  - विक्रय प्रमाण पत्र व पहचान पत्र धारी स्ट्रीट वेण्डर्स
  - सर्वे से वंचित स्ट्रीट वेण्डर्स जिन्हे निकाय द्वारा LOR जारी किया गया हो
  - पेरी–अर्बन क्षेत्र में कार्यरत जिन्हें निकाय द्वारा सिफारिश पत्र जारी किया गया हो
- असंगठित सेवा क्षेत्र के कामगर
  - हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, पलम्बर, मिस्त्री, चाय वाला, चाट वाला आदि (आयु सीमा 18–40 वर्ष)
  - जिला कलक्टर द्वारा चिन्हित, अन्य व्यवसायो में कार्यरत लोग